

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर**

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी-स्कीम जयपुर 302013

क्रमांक प.1(ग)( )का/एसएमई/डी एल बी/17/16870

दिनांक 9/8/17

**आदेश**


मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिपिकवर्गीय व अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री हरनाथ धाकड़	वरिष्ठ लिपिक	शाहुपरा(भीलवाड़ा)	रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)
2.	श्री अनीश कुमार खण्डलेवा	वरिष्ठ लिपिक	नदबई (भरतपुर)	खेडली (अलवर)
3.	श्रीमती सीमा प्रजापति	वरिष्ठ लिपिक	जैतारण (पाली)	बिलाडा (जोधपुर)
4.	श्री रामपाल मुण्डेल	कनिष्ठ लिपिक	मकराना (नागौर)	कुचेरा (नागौर)
5.	श्री रामनिरंजन सैनी	कनिष्ठ लिपिक	रामगढ़ शेखावटी (सीकर)	फतेहपुर शेखावटी (सीकर)
6.	श्री नन्द किशोर	कनिष्ठ लिपिक	फतेहपुर शेखावटी (सीकर)	रामगढ़ शेखावटी (सीकर)
7.	श्री राजहंस पहाडिया	कनिष्ठ लिपिक	मालपुरा	चाकसू (जयपुर)
8.	श्री सुरेश यादव	कनिष्ठ लिपिक	लाडनू (नागौर)	कुचामनसिटी (नागौर)
9.	श्री प्रेम प्रकाश	कनिष्ठ लिपिक	सुरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	श्रीविजयनगर (श्रीगंगानगर)
10.	श्री जगवीर सिंह	फायरमैन	नवलगढ़ (झुंझुनू)	बीकानेर
11.	श्री सुरेन्द्र कुडी	फायरमैन	पाली	नीमकाथाना (सीकर)
12.	श्री सहदेव सांगवा	फायरमैन	नीमकाथाना (सीकर)	पाली
13.	श्री सुरेन्द्र कुमार	फायरमैन	पदमपुर (श्रीगंगानगर)	राजगढ़ (चूरु)
14.	श्री भूपेन्द्र कुमार	फायरमैन	अजमेर	ब्यावर
15.	श्री मुकेश कुमार गुर्जर	फायरमैन	भरतपुर	लालसोट
16.	शुश्री पदना जयपाल	फायरमैन	बैंगू	रावतभाटा
17.	श्री जितेन्द्र सिंह राजावत	फायरमैन	रावतभाटा	बैंगू
18.	श्रीमती दीपा कुमावत	फायरमैन	कैकडी (अजमेर)	जयपुर
19.	श्री राजेश कुमार कानव	फायरमैन	धौलपुर	जयपुर
20.	श्री बृजकिशोर	फायरमैन	जोधपुर	अजमेर
21.	श्री फिरोज खान	फायरमैन	उदयपुर	रामगंजमण्डी, कोटा
22.	श्री अब्दुल वहीद	फायरमैन	अजमेर	कोटा
23.	श्री अवय सिंह रावत	फायरमैन	भीलवाडा	अजमेर
24.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	फायरमैन	जयपुर	कोटपूतली, जयपुर

नोट :-


1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।

3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. कर्मचारी को प्रथम पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

  
 (पवन अरोड़ा)  
 निदेशक एवं संयुक्त  
 शासन सचिव

क्रमांक प.1(ग)( )का/एसएमई/डी एल बी/17/16 871-16952 दिनांक 9/8/17  
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/अजमेर/  
 बीकानेर/भरतपुर।
04. महापोर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....  
 .....।
05. श्री ..... पद ..... नगर .....
06. सुरक्षित पत्रावली।

  
 (अलका मीणा)  
 उपनिदेशक (प्रशासन)